रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269707
CG-DL-E-31012026-269707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 407]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

का.आ. 435(अ).— जबकि मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 152, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसकी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/49/2025-PG दिनांक 13.05.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसकी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की **धारा 68(1)** के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों **राजस्थान पत्रिका (हिंदी)** दिनांक **17.07.2025**, **दैनिक भास्कर (हिंदी)** दिनांक **17.07.2025**, **दशपुर एक्सप्रेस (हिंदी)** दिनांक **17.07.2025**, **द इंडियन**

एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक **17.07.2025**, **द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)** दिनांक **17.07.2025** और **भारत के साप्ताहिक राजपत्र** दिनांक 16.08.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से **2 महीने** के भीतर आम जनता की टिप्पणियाँ / अभ्यावेदन की मांग करते हुए **नोटिस प्रकाशित किया था।** इसके पश्चात, मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने **24.10.2025** दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि **भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।**

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसकी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए

उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें हैं:

1. एक्मे सी एस पी एल (ग्राम खरनई, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित जनरेशन स्विचयार्ड) - नीमच पीएस (आईएसटीएस) 220 केवी सिंगल सर्किट लाइन डबल सर्किट टावरों पर

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान और मध्य प्रदेश के निम्नांकित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
कवाई, बड़ी, धनगांव, थड़ोद, हरिपुरा, रुघनाथपुरा, अनूपपुरा, कंवरजी का खेड़ा, खेड़ा मधलीछा, जमरानिया, कावरिया, प्रेमपुरा, कनोड़, अम्बा परलाई, देवीपुरा, खोलपुरा, खोखरा, दौलतपुरा कलां, मनोहरपुरा खुर्द, सोलंकी का खेड़ा, रूपपुरा अंबा	सिंगोली	नीमच	मध्य प्रदेश
खरनई, बालेछान, मेघनिवास, धमनिया, खोरडिया	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए सभी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन के स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि से सहमतियां प्राप्त करनी होंगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सक्षम आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि से संबंधित विधियों/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

iv. भारत सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का संचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विनियमन एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/6/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 21st January, 2026

S.O. 435(E).— Whereas M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited, the applicant with its registered Office at Plot No. 152, Sector-44, Gurugram, Haryana - 122002, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Chittorgarh, Rajasthan”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/49/2025-PG dated 13.05.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Chittorgarh, Rajasthan”.

M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited had published notice for transmission scheme in local Newspapers Rajasthan Patrika (Hindi) dated 17.07.2025, Dainik Bhaskar (Hindi) dated 17.07.2025, Dashpur Express (Hindi) dated 17.07.2025, The Indian Express (English) dated 17.07.2025, The Times of India (English) dated 17.07.2025 and in Weekly Gazette of India dated 16.08.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two Months from the date of publication. Subsequently, M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited has submitted an affidavit dated 24.10.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of publication of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Chittorgarh, Rajasthan”. The following overhead line is covered under this scheme

- ACME CSPL (generation switchyard located in Village Kharnai, Teshil Rawatbhata, District Chittorgarh, Rajasthan) – Neemuch PS (ISTS) 220 kV S/c line on D/c towers

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Rajasthan** and **Madhya Pradesh**:

Name of the villages	Tehsil	District	State
Kawai, Badi, Dhangaon, Thadod, Haripura, Rughnathpura, Anoppura, Kanwarji Ka Kheda, Kheda Madlicha, Jamraniya, Kawariya, Prempura, Kanod, Amba Parlai, Devipura, Kholpura, Khokhara, Daulatpura Kalan, Manoharpura Khurd, Solanki Ka Kheda, Ruppura Amba	Singoli	Neemuch	Madhya Pradesh
Kharnai, Balechhan, Meghniwas, Dhamniya, Khordiya	Rawatbhata	Chittorgarh	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No.25-16/6/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.31 17:03:00 +05'30'